



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122022-241338
CG-DL-E-23122022-241338

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5771]
No. 5711]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2022/पौष 1, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2022/PAUSHA 1, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6012(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन भाराराप्रा को सौंपने के लिए जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की [अधिसूचना संख्या का. आ. 721(अ) दिनांक 27 जुलाई, 2000] द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 4बी (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-348) के (ए1-ई सेक्शन किमी 3.600 से किमी 27.270 तक, डी-जी सेक्शन किमी 0.000 से किमी 4.492 {अब एनएच-548}) एसएच-54 (किमी 5.300 से किमी 14.850) और अमरा मार्ग (0.000 किमी से किमी 6.200 तक) का खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को (जिसे इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा गया है) सौंपा है;

अतः अब केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् “नियम” कहा जाए) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य में प्रस्तावित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की सीमाओं पर 34.800 किमी सड़क खंड की निवल लंबाई के लिए और समकक्ष संरचना लंबाई (जिसकी लंबाई 60 मी से अधिक है) 91.120 किमी (जिसकी लंबाई 9.112 किमी है) के मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग 4बी (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-348)(ए 1-ई सेक्शन किमी 3.600 से किमी 27.270 तक, डी-जी सेक्शन किमी 0.000 से किमी 4.492 {अब एनएच-548}) एसएच -54 (किमी 5.300 से किमी 14.850) और अमरा मार्ग (0.000 किमी से किमी 4.492 तक 5.360 [एसएच -54 और अमरा मार्ग को हाल ही में एनएच -348ए के रूप में नया घोषित किया गया है] के 6/8 लेन में चौड़ीकरण हेतु यांत्रिक वाहनों पर सारणी

1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 100% पर एतद्वारा शुल्क की वसूली करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्—

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरा वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध और संदेय होगा अर्थात् :

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
निम्नलिखित स्थानों पर जेएनपीटी परिसर के अंदर:	34.800	चार और अधिक लेन हेतु ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
1. उत्तरी द्वार (ग्राम-जूना शेवा, तहसील-उरण, जिला-रायगढ़)		
2. एनएसआईसीटी गेट (न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड)-डीपी 1 (गांव-जूना शेवा, तहसील-उरण, जिला-रायगढ़)		
3. एनएसआईजीटी गेट (न्हावा शेवा इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड) -डीपी 2 (गांव-जूना शेवा, तहसील-उरण, जिला-रायगढ़)		
4. दक्षिण द्वार (जी.टी.आई.) (ग्राम-शेवा, तहसील-उरण, जिला-रायगढ़)		
5. जेएनपीटी बंदरगाह पर बीएमसीटी गेट (ग्राम-न्हावा शेवा, तहसील-उरण, जिला-रायगढ़)		

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बुनियादी ढांचाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी बुनियादी ढांचाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी देय और भुगतान योग्य होगा:

सारणी 3			
शुल्क प्लाजा का स्थान (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित बुनियादी ढांचा की लम्बाई (कि.मी. में)	समकक्ष सड़क लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क भुगतान योग्य है
<p>निम्नलिखित स्थानों पर जेएनपीटी परिसर के अंदर:</p> <p>1. उत्तरी द्वार (ग्राम-जूना शेवा, तहसील-उरण, जिला-रायगढ़)</p> <p>2. एनएसआईसीटी गेट (न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड)-डीपी 1 (गांव-जूना शेवा, तहसील-उरण, जिला-रायगढ़)</p> <p>3. एनएसआईजीटी गेट (न्हावा शेवा इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड) - डीपी 2 (गांव-जूना शेवा, तहसील-उरण, जिला-रायगढ़)</p> <p>4. दक्षिण द्वार (जी.टी.आई.) (ग्राम-शेवा, तहसील-उरण, जिला-रायगढ़)</p> <p>5. जेएनपीटी बंदरगाह पर बीएमसीटी गेट (ग्राम-न्हावा शेवा, तहसील-उरण, जिला-रायगढ़)</p>	9.112 [^]	91.12	चार और अधिक लेन हेतु ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100 %

[^] विवरण निम्नानुसार है :

चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
किमी से	किमी तक		
0.220 से 0.380		फ्लाईओवर	0.160
26.545 से 26.655		फ्लाईओवर	0.110
26.805 से 26.915		फ्लाईओवर	0.110

21.490 से 21.560	फ्लाईओवर	0.160
13.450 से 14.050	फ्लाईओवर	0.600
3.813 से 4.932 & आरओबी 5.153 से 5.989	इंटरचेंज	3.247
6.200	इंटरचेंज	2.656
1.400 से 1.580	बड़ा पुल	0.180
0.890 से 1.287	बड़ा पुल	0.397
3.915 से 4.035	बड़ा पुल	0.120
10.660 से 11.870	एलिवेटेड कॉरीडोर	1.210
0.064 से 0.126	आरओबी	0.062
3.100 से 3201	आरओबी	0.101
कुल		9.112

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/ रहती हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315/-रुपए (तीन सौ पंद्रह रुपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

संदेय राशि	अनुमत्य एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान योग्य शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक माह

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूर्ण हुई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा इसे तदनुसार अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 3668.294 करोड़ रुपए है। (पूंजीगत लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने

शेष हैं और अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. NHAI/PIU/PANVEL/MJPRCL/2022/1409]

सुमन प्रसाद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2022

S.O. 6012(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways[number S.O 721 (E) dated 27 July 2000] issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), for entrustment to NHAI, the Central Government has entrusted the section of National Highway from (A1-E section from Km. 3.600 to Km. 27.270, D-G section from Km. 0.000 to km. 4.492 {Now NH-548}) SH-54 (from Km. 5.300 to Km. 14.850) and Amra Marg (from Km. 0.000 to Km. 6.200) of National Highway No. 4B {New NH-348} in the state of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 34.800 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 91.120 km (having length of 9.112 km) of Widening of existing NH-4B {New NH-348} (A1-E section from Km. 3.600 to Km. 27.270, D-G section from Km. 0.000 to km. 4.492 {Now NH-548}) SH-54 (from Km. 5.300 to Km. 14.850) and Amra Marg (from Km. 0.000 to Km.5.360) [SH-54 and Amra Marg are newly declared as NH-348 A] to 6/8 lanes on boundaries of proposed Navi Mumbai International Airport in the state of Maharashtra and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

Table -I	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee plaza for the net road length specified for such Fee Plaza namely:—

Table-2		
Location of Fee Plaza (Chainage)	Length (in Km) for which fee is payable	Rate at which fee is payable
Inside JNPT premises at following locations 1.North Gate (Village-1.	34.800	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1

Juna Sheva, Tq- Uran, District-Raigad) 2.NSICT Gate (Nhava Sheva International Container Terminal Pvt. Ltd.)-DP 1 (Village-Juna Sheva, Tq- Uran, District-Raigad) 3.NSIGT Gate (Nhava Sheva India Gateway Terminal Pvt. Ltd.) -DP 2(Village-Juna Sheva, Tq- Uran, District-Raigad) 4.South Gate (GTI) (Village-Sheva, Tq- Uran, District-Raigad) 5.BMCT Gate at JNPT Port. (Village-Nhava Sheva, Tq- Uran, District-Raigad)		
--	--	--

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structure by an equivalent factor of 10:-

Table-3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in Km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in Km)	Rate at which fee is payable
Inside JNPT premises at following locations 1.North Gate (Village-Juna Sheva, Tq- Uran, District-Raigad) 2.NSICT Gate (Nhava Sheva International Container Terminal Pvt. Ltd.)-DP 1 (Village-Juna Sheva, Tq- Uran, District-Raigad) 3.NSIGT Gate (Nhava Sheva India Gateway Terminal Pvt.Ltd.) -DP 2(Village-Juna Sheva, Tq- Uran, District-Raigad) 4.South Gate (GTI) (Village- Sheva, Tq- Uran, District-Raigad) 5.BMCT Gate at JNPT Port. (Village-Nhava Sheva, Tq- Uran, District-Raigad)	9.112^	91.12	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1

^The details are as under:

Chainage		Type of Structure	Length (in km)
From Km	To KM		
0.220 to 0.380		Flyover	0.160
26.545 To 26.655		Flyover	0.110
26.805 To 26.915		Flyover	0.110
21.490 to 21.560		Flyover	0.160
13.450 to 14.050		Flyover	0.600
3.813 to 4.932 & ROB 5.153 to 5.989		Interchange	3.247
6.200		Interchange	2.656
1.400 to 1.580		Major Bridge	0.180
0.890 to 1.287		Major Bridge	0.397
3.915 to 4.035		Major Bridge	0.120
10.660 to 11.870		Elevated Corridor	1.210
0.064 to 0.126		ROB	0.062
3.100 to 3201		ROB	0.101
Total			9.112

3. The rate of monthly pass for person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides with is a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 315 (Rupees Three Hundred and Fifteen Only) for the year 2022-23 is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometre for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rs. 3668.294 crore. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/PIU/PANVEL/MJPRCL/2022/1409]

SUMAN PRASAD SINGH, Jt. Secy.